अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2002

का.आ. 1286(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 11 अगस्त, 1998 की अधिसूचना सं0 सा0 आ0 676(अ0)द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अखिल अंजना केलवानी मंडल,सेक्टर-7, गांधीनगर, सामने केन्द्रीय बस स्टेशन, गांधीनगर-382007 द्वारा सेक्टर-7, गांधीनगर, गुजरात में वृक्षारोपण,महिला कालेज(आवासीय) के भवन का निर्माण एवं साज-सज्जा की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 14 पर विनिर्दिष्ट किया था ,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ङ के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल अंजना केलवानी मंडल,सेक्टर-7, गांधीनगर, सामने केन्द्रीय बस स्टेशन, गांधीनगर-382007 द्वारा सेक्टर-7, गांधीनगर, गुजरात में वृक्षारोपण,महिला कालेज(आवासीय) के भवन का निर्माण एवं साज-सज्जा की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002-

2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र चार करोड़, नब्बे लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 378/2002/फा. सं. एन सी-113/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)